To be substituted bearing same No. and Date.

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–कम,
उपमण्डल अधिकारी(ना0), चरखी दादरी।

प्रेषित,

डॉ मनीषा सांगवान, प्रत्याशी, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस,
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।

क्रमांक...9518......./स्टैनो दिनांक 18.10.2024

विषयः– **Allegations regarding malpractice by Election Officers/Observers at Dadri-56.**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र क्रमांक 0 दिनांक 09.10.2024 जो ई0मेल के माध्यम से दिनांक 09.10.2024 को सायं 04:09 बजे पर प्राप्त हुई है। इस शिकायत में हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन–2024 में मतगणना के संबंध में मुख्यतः निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:–

A. Unsigned EVM Machine regarding.
B. Stopped the counting in lieu of lunch break regarding.
C. More than 600 Postal Ballot declared invalid regarding.
D. Illegal movement of cash and liquor in villages regarding.
E. The police SP and Obververs act as biased regarding.
F. Seating with BJP Candidate and Chit Chatting regarding.
G. CU Battery more than 90 percent charged regarding.

आपके द्वारा जो शिकायत पत्र के माध्यम से भेजी गई है वह पूर्णतया निराधार, तथ्यहीन है, जिनका जवाब बिन्दुवार निम्न प्रकार से हैः–

A. उक्त संदर्भित mail के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 08.10.2024 को मतगणना केन्द्रीय पर्यवेक्षक तथा अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतोनुसार सम्पन्न करवाई गई थी। आप द्वारा E-mail के माध्यम से EVM Machine unsigned का आरोप लगाया गया है, इस सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 08.10.2024 को किसी भी मतगणना अभिकर्ता या आप द्वारा उक्त बारे कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई थी।

B. उक्त mail के माध्यम से आप द्वारा मतगणना बीच में रोकने के आरोप लगाए गए हैं के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि Counting Personnel Welfare Measures के मध्यनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा मतगणना अभिकर्ताओं के अनुरोध के मध्यनजर दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई थी लेकिन उक्त समयावधि में भी केन्द्रीय पर्यवेक्षक तथा अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में मतगणना सम्बन्धित कार्य निरन्तर जारी रहे।

C. उक्त mail के माध्यम से आप द्वारा 600 डाक मत अवैध घोषित किए जाने के आरोप लगाए हैं, इस सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि Handbook for RO, 2023 के Chapter 15 के बिन्दु 15.13&15.14 के तहत ही नियमानुसार डाक मत पत्रों की गणना की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि ETPBS की Pre counting के लिए एक ARO तथा ETPBS/Postal Ballots की counting के लिए प्रत्येक टेबल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक–एक ARO नियुक्त किए हुए थे।

D. उक्त mail के माध्यम से आप द्वारा चुनाव के दौरान अनुचित संसाधनों जैसे पैसे व शराब बांटने के आरोप लगाए गए हैं, इस सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि चुनाव के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले अनुचित संसाधनों पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव घोषणा उपरांत अर्थात 16.08.2024 को ही उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा Election Expenditure Monitoring Teams का गठन उक्त अनुचित संसाधनों पर अंकुश लगाने के लिए कर दिया गया था तथा District Control Room & District Contact Center भी जिला स्तर पर व RO स्तर पर स्थापित कर दिए गए थे और आमजन से प्रैस के माध्यम से अपील भी जारी करवा दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति पैसे व शराब इत्यादि का लालच दे रहा है तो उक्त बारे आप District Control Room & District Contact Center या C- Vigil App के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान आप द्वारा उक्त बारे कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई।

E. उक्त mail के माध्यम से आप द्वारा पुलिस अधीक्षका, सामान्य पर्यवेक्षक तथा पुलिस पर्यवेक्षक पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, इस सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि चुनाव के दौरान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करते हुए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष

तथा शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाया है। सामान्य पर्यवेक्षक महोदय ने प्रैस के माध्यम से अपना मोबाईल नं तथा सभी चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियो/आमजन से मिलने का समय प्रकाशित करवाया गया था तथा अनुरोध किया गया था कि किसी भी चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या आमजन की चुनाव से सम्बंधित कोई भी शिकायत हो तो वह उनको मोबाईल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान आप द्वारा उक्त बारे कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई।

F. उक्त mail के माध्यम से आप द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी के साथ बैठने तथा Chit chatting का आरोप लगाया है, इस सम्बंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि Handbook for RO, 2023 के Chapter 15 के बिंदु 15.10.7 & 15.10.8 में दी गई हिदायतों की पालना सुनिश्चित करते हुए ही मतगणना वाले दिन सामान्य पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी व चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी/चुनाव अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी।

G. CU Battery more than 90 percent charged regarding.

1. मतगणना के दौरान आप स्वयं व आपका चुनाव अभिकर्ता मौजूद रहे थे और आपने मतगणना के दौरान ई0वी0एम0 की बैटरियों की क्षमता 90 प्रतिशत दिखाने बारे कोई मौखिक या लिखित शिकायत नही रखी थी। मतगणना की समाप्ति तक किसी भी मतगणना अभिकर्ता/चुनाव अभिकर्ता या आप सहित किसी भी अभ्यार्थी ने सी0यु0 की बैटरी 90 प्रतिशत होने बारे कोई भी आपत्ति/शिकायत दर्ज नही करवाई गई थी। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार व केन्द्रीयं पर्यवेक्षक से अधिकृत पत्र प्राप्त होने उपरान्त ही अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को निर्वाचित घोषित किया गया था। पूर्ण मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नियमानुसार सम्पन्न हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग की हिदायतानुसार सभी सी0यु0 की बैटरी निकालकर सी0यु0, बी0यु0 व वी0वी0पैट0 को सिलिगं उपरान्त वापिस जिला ई0वी0एम0 वेयर हाउस में बनाए गए स्ट्रांग रूम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार जमा करवा दिया गया था तथा सी0यु0 या वी0वी0पैट0 में डाली जाने वाली बैटरी का नम्बर रिकार्ड में कही भी नही रखा जाता है जिससे अब यह पता चल सके कि कौन सी बैटरी किस सी0यु0 में लगी हुई थी और न ही आपने किसी विशेष पोलिंग स्टेशन का हवाला दिया है कि किस पोलिंग स्टेशन की सी0यु0 की बैटरी 90 प्रतिशत प्रदर्शित हुई थी। फिर भी आपकी सन्तुष्टि के लिए चुनाव प्रक्रिया की सक्षिप्त जानकारी एवं राजनीतिक पार्टीयों एवं उनके प्रतिनिधियों की भीगीदारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

2. साधारण निर्वाचन से छह माह पूर्व से निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का आरम्भ होता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। इस प्रकार, अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन संपन्न होने तक निरंतर कार्यरत रहते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एक रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार निरंतर एवं अथक रूप से चौबीसो घंटे तैनात रहते हुए कार्यरत रहते हैं। सभी प्रक्रियाओं के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर का उपस्थित रहना न केवल अनिवार्य है परंतु यह प्रक्रिया को दुरुस्त भी बनाता है। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से अपनी पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से निर्वाचन कार्य को इसके विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए सम्पन्न किया है।

आपकी उक्त शिकायत के कारण मुझे अत्यधिक पीड़ा हुई है और मेरे मनोबल को ठेस पहुंची है। तथापि मैं आपकी उक्त शिकायत के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया को संक्षेप रूप में बताना चाहता हूं।

3. चुनाव आयोग द्वारा अपने विभिन्न आदेशों/दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ तकनीकी सुरक्षात्मक विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को, कोई भी गुंजाइश न छोड़ते हुए पूरी तरह से हेर–फेर से मुक्त बनाती हैं। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैंडलिंग के प्रत्येक पहलू के लिए चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें विनिर्माता से मशीनों के परिवहन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भंडारण शामिल है। इसके अलावा, चुनाव के विभिन्न चरणों में किसी भी संभाविता का निराकरण करने के लिए क्या करें और क्या न करें भी शामिल हैं।

4. चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैंडल करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की एक विस्तृत एवं सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संभव दुरुपयोग या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच या किसी भी जान–बूझकर प्रक्रियात्मक चूक को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मतदान से पहले, मतदान के दौरान या मतदान के बाद या भंडारण/परिवहन के दौरान किसी भी तरह की हेर–फेर/जोड़–तोड़ से सुरक्षित रखा जाता है। आयोग द्वारा ये सुरक्षोपाय प्रत्येक चरण पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत सहभागिता के साथ पारदर्शी ढंग से लागू किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता के प्रति उनका विश्वास कायम किया जा सके। ये सभी कार्य और प्रक्रियाएं आयोग के अधीन, निदेशन और नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों या वरिष्ठ जिला अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं, जिसके बारे में आप भली–भांति अवगत हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के एजेंटों की भागीदारी की प्रणाली इतनी सशक्त है कि ईवीएम मशीनों में कोई भी बदलाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु दोबारा आपकी जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

5. **प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी)**

i. पत्र सं. 51/8/16/9/2017–ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09.11.2017 जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) में आगे और अपडेट किया गया है, में शामिल आयोग के अनुदेशों के अनुसार, राज्य में प्रत्येक चुनाव से कम से कम 180 दिन पहले ईवीएम के दोनों भागों और वीवीपैट की गहन प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी का उद्देश्य चुनावों में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की प्रामाणिकता और उपयोगिता सुनिश्चित करना है। प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की निगरानी में पूरी तरह से मोर्चाबंद और सुरक्षित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विनिर्माण कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उसे

कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के साथ उपयुक्त पावती के अधीन लिखित रूप में साझा किया जाता है और उसकी प्रति दल के राज्य मुख्यालयों को भेजी जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एफएलसी के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है। यदि वे एफएलसी में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पावती सहित पुनः स्मरण पत्र भेजा जाता है। पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1655 दिनांक 29.07.2024, पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1686 दिनांक 03.08.2024 व पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1701 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा सभी को सूचित किया गया था। (Annexure-I सलंग्न है।) एफएलसी में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखा जाता है। (Annexure-II सलंग्न है।)

ii. प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) प्रत्येक बीयू, सीयू और वीवीपैट का एक परीक्षण है जो मशीनों की पूर्ण कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए विनिर्माता द्वारा किया गया है। जांच के उपरांत, विनिर्माता इस बात का उचित प्रमाण पत्र देते हैं कि ईवीएम के सभी संघटक औरिजनल हैं।

iii. एफएलसी बीईएल/ईसीआईएल द्वारा जारी किए गए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चौबीसों घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में एक बड़े हॉल में 24*7 सीसीटीवी कवरेज के साथ की जाती है जहां प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उचित रिकार्ड रखने के लिए लॉग बुक रखा रखा जाता है। सम्पूर्ण एफएलसी प्रक्रिया की निगरानी डीईओ और सीईओ स्तर पर नियंत्रण कक्षों में वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाती है और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

iv. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों को उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें ऐच्छिक रूप से किसी भी मशीन को चुनने और स्वयं मोक मतदान (मॉक पोल) करने की अनुमति दी जाती है।

v. एफएलसी के दौरान Control Units को पिंक पेपर सील से सीलबंद किया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करते हैं।

vi. मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 56–दादरी में एफएलसी, जिला मुख्यालय में दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 09.08.2024 तक संचालित किया गया था। निम्नलिखित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने तिथिवार एफएलसी में भाग लिया था: (Annexure-III, IV & V सलंग्न है।)

Details on Witnessing of FLC Process By Recognised Political Parties- District Charhi Dadri	
District Name/Dates	**Charkhi Dadri**
01-08-2024	AAP-1 (Sh. Rimpi Phogat) INC-1 (Sh. Baljeet Phogat) INLD-1 (Sh. Rajender Singh Ghikara)
02-08-2024	BJP-1 (Sh. Balram Kharera) AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
03-08-2024	AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
04-08-2024	AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
05-08-2024	Nil
06-08-2024	BJP-1 (Sh. Manbir Singh) AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
07-08-2024	Nil
08-08-2024	BJP -1 (FLC Completed on 08-08-2024) (Sh. Manbir Singh)
09-08-2024	BJP-2 (Sh. Kedarnath & Sh.Manbir Singh) AAP-1 (Sh. Rimpi Phogat) JJP-1 (Sh. Rakesh Kalkal) B.S.P-2 (Mock Poll Completed on dated 09-08-2024) (Sh. Shiv

	Kumar & Sh. Om Parkash)

vii. जिससे प्रतीत होता है कि आपके राजनैतिक दल सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

एफएलसी के बाद भंडारणः–

i. चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम में ''एफएलसी ओके ईवीएम'' के भंडारण के लिए और वहां चौबीसो घंटे सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। स्ट्रांग रूम में 24*7 सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल का कम से कम एक सेक्शन तैनात किया जाता है। ऐसे स्ट्रांग रूम और गलियारों के प्रवेश द्वार पर डीवीआर युक्त 24*7 सीसीटीवी कवरेज होगा।

ii. प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक बनाए रखा जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम का दौरा करते हैं।

iii. यह व्यवस्था उस समय तक जारी रहती है जब तक कि चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन नहीं कर लिया जाए।

iv. राजनीतिक दलों को ''एफएलसी–ओके ईवीएम'' की सूची तथा सी0यु0 पिंक पेपर सील की सूची उपलब्ध करवाकर पावती प्राप्त की जाती है के साथ–2 भण्डारण और उनकी सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1715 दिनांक 12.08.2024 के तहत एफ0एल0सी0 ओके ई0वी0एम0 तथा सी0यु0 पिंक पेपर सील की सूची उपलब्ध करवाकर पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XVI सलंग्न है।) चरखी दादरी जिले में, "एफएलसी–ओके ईवीएम" के लिए स्ट्रांग रूम जिला ई0वी0एम0 वेयरहाउस पर स्थापित किए गए थे।

7.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रैंडमाइजेशन :–

i. FLC ok Strong Room में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम से दो बार रैंडमाइज की जाती हैं और अगर किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक हो जाती है तो उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए BUs का 1st supplementary randomization भी किया जाता है। यह Software भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

7.2 प्रथम रैंडमाइजेशनः–

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन से पहले अधिकतम 10 प्रतिशत मशीनें प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए निशान – ईवीएम में ''प्रशिक्षण और जागरूकता'' के साथ अलग रखी जाती हैं। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम रैंडमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम तय करते हैं और राज्य के सभी

मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को नियत पावती के साथ कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1919 दिनांक 29.08.2024 के तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से सूचना उपलब्ध करवाकर पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- VI सलंग्न है।)

i. डीईओ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैंडमाइज रूप से मशीनें आबंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम रैंडमाइजेशन किया जाता है। (Annexure- VII सलंग्न है।)

ii. रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है। (Annexure- VIII सलंग्न है।)

iii. चरखी दादरी में, प्रथम रैंडमाइजेशन दिनांक 02.09.2024 को आयोजित किया गया और मेरे निर्वाचन क्षेत्र 56–दादरी के लिए आबंटित मशीनें मेरे द्वारा दिनांक 05.09.2024 को प्राप्त की गई थी।

iv. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित ईवीएम JVMGRR PG College, Charkhi Dadri पर पृथक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्ट्रांग रूम में स्टोर किया गया था। जिसकी सूचना सभी राजनैतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1919 दिनांक 29.08.2024 द्वारा दी गई थी।

v. भंडारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वीडियोग्राफी के अधीन पूरी की गई थी।

vi. जैसा कि आयोग के निर्देशों में शामिल किया गया है, सुरक्षा और सीसीटीवी कवरेज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं।

Ist Supplementary Randomization of EVMs: 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 15 से अधिक चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी होने के कारण 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 20.09.2024 को Ist Supplementary Randomization किया गया था और उक्त बारे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2211 दिनांक 17.09.2024 के तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को सूचना प्रदान करवाते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। Ist Supplementary Randomization के बाद आंवटित की गई Ballot Units की सूची उपल्बध करवा कर Acknowledgment प्राप्त कर लिया गया था। (Annexure-XXII संलग्न है।

7.3. द्वितीय रैंडमाइजेशन : –

i. उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा द्वितीय रैंडमाइजेशन ईवीएम के माध्यम से किया जाता है।

ii. यह रैंडमाइजेशन मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और आयोग के आब्जरवर जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया गया।

iii. राजनैतिक दलों को द्वितीय रैंडमाइजेशन के कार्यक्रम की सूचना, लिखित रूप में, पत्र क्रमांक 420 दिनांक 18.09.2024 द्वारा दी गई थी पावती साथ सलंग्न है। (Annexure- IX & XI सलंग्न है।)

iv. मेरे द्वारा राजनैतिक दलों और श्री बुधेश कुमार वैद्य, आब्जरवर की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2024 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय रैंडमाइजेशन का संचालन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव लडने अभ्यर्थी/उनके चुनाव अभिकर्ता उपस्थित रहें। (Annexure- X सलंग्न है।)

8. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग/को चालू करना :–

i. उम्मीदवारियां वापस लेने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग और उनमें उम्मीदवारों को सेट करने का कार्यक्रम तैयार करते हैं।

ii. सभी उम्मीदवारों को समुचित पावती के साथ कार्यक्रम की सूचना दी जाती है जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2238 दिनांक 19.09.2024 के तहत सभी चुनाव लडने वाले अभ्यार्थीयों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XII सलंग्न है।)

iii. उम्मीदवारों से मोक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

iv. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों को चालू करने का कार्य पूर्ण सुरक्षा कवरेज और 24*7 सीसीटीवी कवरेज में सुरक्षित परिवेश में एक पृथक हॉल में किया जाता है।

v. चालू करने (कमीशनिंग) के कार्य का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) और आरओ द्वारा तैनात किए गए अन्य अधिकारियों द्वारा बीईएल/ईसीआईएल की तकनीकी टीम की सहायता से हॉल में मौजूद आरओ, आयोग के प्रेक्षक और सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किया जाता है।

vi. लोड किए जा रहे प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के साथ अलग से टीवी मॉनिटर संस्थापित किए जाते हैं।

vii. इस समय, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर फिर से मशीन के हरेक कल–पुरजे की जांच करते हैं और उसे उम्मीदवारों को दिखाने के बाद रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को प्रमाणपत्र देते हैं।

viii. पहले, बैलेट यूनिट (बीयू) को तैयार और सीलबंद किया जाता है, तब वीवीपैट यूनिट तैयार किया जाता है। एक नया पावर पैक (बैटरी) और नया पेपर रोल संस्थापित किया जाता है। वीवीपैट कम्पार्टमेंट को सील बंद करने के पश्चात, कंट्रोल यूनिट (सीयू) तैयार किया जाता है और उसमें उम्मीदवारों को सेट किया जाता है। सीयू में एक बिलकुल नया पावर पैक संस्थापित किया जाता है। इसके बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबलों को जोड़ा जाता है और इस बात की जांच

करने के लिए कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, मोक मतदान किया जाता है।

ix. संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मशीन को बंद कर दिया जाता है, वीवीपैट तथा सीयू को सीलबंद कर दिया जाता है। वीवीपैट और सीयू के बैटरी सेक्शनों को भी थ्रेड सील और एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सीलबंद कर दिया जाता है।

x. ईवीएम और वीवीपैट की सभी मुहरों (सील) पर रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

xi. चालू करने (कमीशनिंग) के बाद मशीनें आयोग द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल के साथ पुनः स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं। जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2369 दिनांक 25.09.2024 के माध्यम से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यार्थीयों को चुनाव के दौरान की जाने वाली सभी महत्वपुर्ण गतिविधियों के बारे में व्यक्तिीगत रूप से अवगत करवा दिया गया था। (Annexure- XVII सलंग्न है।)

xii. मेरे निर्वाचन क्षेत्र 56–दादरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग दिनांक 26.09.2024 से 28.09.2024 तक, मोक पोल और भंडारण दिनांक 29.09. 2024 को JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में प्रेक्षक श्री बुधेश कुमार वैद्य और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था। (Annexure-XVIII सलंग्न है।)

9. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का वितरण (**Dispersal**):

i. आयोग के निर्देशानुसार पोलिंग टीमों की रवानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम खोलने की तारीख और समय की सूचना लिखित रूप में देंगे। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2591 दिनांक 02.10.2024 के तहत सभी चुनाव लडने वाले अभ्यार्थीयों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XIII सलंग्न है।)

ii. रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में, आयोग के प्रेक्षक और उम्मीदवार/उनके एजेंट, पोलिंग टीमों के पीठासीन अधिकारी इस बात की पूरी तरह जांच करते हैं कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट विधिवत रूप से सीलबंद किए गए हैं और उनकी मुहर (सील) और पता टैग अक्षत हैं और बैटरियां संस्थापित की गई हैं।

iii. उम्मीदवार, सुरक्षा कार्मिक के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी देखते हैं।

iv. ईवीएम नियंत्रण कक्ष द्वारा पोलिंग टीमों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही (मूवमेंट) का निगरानी जीपीएस और मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए राज्य के डीईओ और सीईओ के स्तरों पर की जाती है [कृपया अनुदेशों के सार–संग्रह, 2024 (खंड ए) में उपलब्ध आयोग के अनुदेश सं. 51/8/आईएनएसटी/2019–ईएमपी, दिनांक 05.02.2019 का अवलोकन करें]

v. डीईओ सभी अभ्यर्थियों और प्रेक्षकों को संबंधित सेक्टर अधिकारियों के विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और विवरण की अधिसूचना देते हैं।

vi. आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक इस संबंध में जारी आयोग के अनुदेशों के कड़ाई से अनुपालन की निगरानी करते हैं।

10. **मतदान दिवस की व्यवस्थाएंः—**

i. आयोग ने अपने अनुदेश सं. 51/8/अनु./2023—ईएमएस, दिनांक 16.10.2023 के जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हैंडलिंग और पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पदधारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यो की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

ii. वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व, आयोग के अनुदेश सं. 51/8/7/2019—ईएमएस, दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल संचालित किया जाता है। मोक पोल में यह सुनिश्चित करते हुए कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए वोट दर्ज हो जाएं।

iii. मोक पोल के परिणामों को अभिनिश्चित करने के बाद, वीवीपैट पर्चियां निकाली जाती हैं और मेक पोल के आंकड़ों को हटा दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को फिर से विधिवत रूप से सीलबंद कर दिया जाता है।

iv. मोक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सीलों और थ्रेड सीलों पर भी हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मोक पोल की तारीख और समय के साथ एक मोक पोल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

v. पीठासीन अधिकारी मोक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारियों की डायरी में वास्तविक मतदान आरंभ होने की तारीख और समय भी नोट करते हैं।

vi. आयोग ने वास्तविक मतदान के दौरान आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए पोलिंग पदधारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

vii. कंट्रोल यूनिट में ''अल्प बैटरी'' के संकेत की दशा में, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का पावर पैक, जो भी मामला हो, आयोग की पत्र सं. 51/8/7/2020—ईएमएस, दिनांक 25.08.2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तत्काल बदले जाने होते हैं।

viii. पोलिंग पार्टी की सहायता के लिए, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर के साथ सेक्टर अधिकारी फील्ड में उपलब्ध रहते हैं।

ix. सेक्टर अधिकारी को आरक्षित मशीनें आबंटित की जाती हैं और जहां भी जरूरत होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं।

x. यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मोक पोल और सीलबंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया नई मशीन पर दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को मुहरों (सील) पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।

xi. मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का 'क्लोज' बटन दबाकर मशीन को बंद कर देता है। वह फॉर्म 17ग में ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल

संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की समाप्ति की तारीख और समय नोट करता है। फॉर्म 17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय पर मौजूद पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं।

xii. तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को वियोजित (डिस्कनेक्ट) कर देता है और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को खोल (कैरिईंग केस) में डाल देता है।

xiii. पीठासीन अधिकारी वीवीपैट का पावर पैक (बैटरी) निकालता है और फिर मतदान केंद्र में मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट को सीलबंद कर देता है।

xiv. पीठासीन अधिकारी एड्रेस टैग पर अपना हस्ताक्षर करता है और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराता है।

xv. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाई जाती हैं।

11. मतयुक्त ईवीएम का भंडारणः—

1. मतयुक्त ईवीएम और आरक्षित नाकाम ईवीएम के भंडारण के लिए, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से ही पृथक स्ट्रांग रूम निर्धारित किए जाते हैं।
2. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपयुक्त वीडियोग्राफी के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचना देकर आयोग के पत्र सं. 464/स्ट्रांग रूम/2023—ईपीएस, दिनांक 18.07.2023 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार, सुरक्षित भंडारण के लिए जमा कर दी जाती हैं।
3. मतयुक्त ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम में, संबंधित वर्गों/रैकों में खास—खास मतदान केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ढेर लगाने के लिए फ्लोर स्पेस निर्धारित किया जाता है।
4. आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण के लिए सख्त सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

i. बिना किसी खिड़की या वैकल्पिक दरवाजे के स्ट्रांग रूम में प्रवेश का एकमात्र रास्ता।

ii. वज्र गृह, जहां मतयुक्त ईवीएम रखी जाती हैं, में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक—1 की चाबियां रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं जबकि लॉक—2 की चाबियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं।

iii. द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है जिसमें सबसे भीतरी परिधि सीएपीएफ कवरेज के अधीन और बाह्य परिधि राज्य सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रहती है।

iv. स्ट्रांग रूम की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

v. प्रत्येक प्रवेश, निकास के लिए और सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए सीएपीएफ द्वारा उचित उपयुक्त लॉग बुक बनाए रखा जाता है। आंतरिक परिधि को पार करने वाले व्यक्ति की तिथि, समय, अवधि और नाम लॉग बुक में दर्ज प्रविष्ट किए जाते हैं और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक या जिला

निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उम्मीदवार या उनके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे (विजिट) शामिल हैं।

vi. कोई भी वाहन, जिसमें किसी भी पदधारी या मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी के वाहन शामिल हैं, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट तथा चुनावी कागजात निर्वाचन पत्र स्टोर किए गए हैं।

vii. उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोलते और बंद करते समय प्रवेश बिंदु की निरंतर वीडियोग्राफी की जाती है।

viii. उम्मीदवार आंतरिक परिधि के बाहर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहने के लिए अपने लोगों को तैनात कर सकते हैं। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन—2024/2468 दिनांक 28.09.2024 के तहत सभी चुनाव लडने वाले अभ्यार्थीयों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure-XIX सलंग्न है।)

ix. मतदान उपरान्त ई0वी0एम0/वी0वी0पैट0 व अन्य निर्वाचन सामाग्री स्ट्रांग रूम में सील करवाने की सूचना सभी चुनाव लडने वाले अभ्यार्थीयों/चुनाव अभिकर्ताओं को पत्र क्रमांक निर्वाचन—2024/2369 दिनांक 25.09.2024 के तहत प्रदान कर दी गई थी। (Annexure-XVII सलंग्न है।)

5. मेरे निर्वाचन क्षेत्र 56—दादरी की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साधारण प्रेक्षक श्री बुधेश कुमार वैद्य, जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी व पुलिस अधीक्षका, चरखी दादरी और निम्नलिखित दलों के अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 06.10.2024 को रात्री 12:57 बजे (दिनांक 06.10.2024) JVMGRR PG College, Charkhi Dadri के स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीः

i. जोगेन्द्र सांगवान, प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी।

प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की गई और लॉग बुक में उम्मीदवारों/उनके एजेंटों के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षा देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने की अनुमति दी गई थी। स्ट्रांग रूम की लॉग बुक की प्रति तथा स्ट्रांग रूम के Round the Clock Monitoring के लिए नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के आदेशों की प्रति सलंग्न है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन—2024/2465 दिनांक 28.09.2024 के तहत सभी चुनाव लडने वाले अभ्यार्थीयों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XIV & XIX सलंग्न है।)

12. फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की जांच पडताल :—

i. फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की जांच पडताल के लिए नियत दिन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, प्रेक्षक और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेंटों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र स्ट्रांग रूम वीडियोग्रॉफी के अधीन खोला जाता है।

ii. फॉर्म 17ए की संवीक्षा के लिए अपेक्षित संगत कागजात, यदि ढोए जाने अपेक्षित हों, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ समुचित पुलिस अनुरक्षण के अंतर्गत ढोए जाते हैं। उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को, ऐसे कागजात को ढोकर ले जाने वाले वाहन के पीछे–2 चलने की अनुमति दी जाती है।

iii. यात्रा योजना (ट्रैवल प्लान) के बारे में उम्मीदवारों/उनके चुनाव एजेंटों या उनके प्रतिनिधियों को समुचित जानकारी दी जाती है।

iv. फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों की जांच पडताल पूरी होने के बाद, उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग–बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद स्ट्रांग रूम को बंद और सीलबंद कर दिया जाता है।

v. फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों वाले स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।

vi. मेरे 56–दादरी में जांच पडताल की प्रक्रिया दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे कान्फ्रेस हाल उपायुक्त कार्यालय, चरखी दादरी में श्री बुधेश कुमार वैद्य प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी ।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया की कार्यवाही रिपोर्ट व विभिन्न चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी/चुनाव अभिकर्ता/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। (Annexure-XX & XXI सलंग्न है।)

13. मतों की गिनतीः–

i. मतगणना के दिन, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाले स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आरओ/एआरओ की तथा निम्नलिखित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अधीन खोला गया :– (Annexure-XV सलंग्न है।)

- श्री आनंद श्योराण, बहुजन समाज पार्टी।
- श्री सुनील सतपाल सांगवान, भाजपा।
- श्री धनराज कुण्डु, आम आदमी पाटी।
- श्रीमती मनीषा सांगवान, कॉंग्रेस।
- श्री सतेन्द्र सिंह, निर्दलीय।
- श्री हेमन्त, निर्दलीय।
- श्री सुनील कुमार, निर्दलीय।
- श्रीमती कृष्णा, अभिकर्ता, (विक्रम शर्मा, आर0जे0एल0पी0)।

- श्री प्रमोद कुमार सांगवान, अभिकर्ता, (रामशरण फौगाट, निर्दलीय)।

ii. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक ले जाने की तैयारी मोर्चाबंद रास्ते से सुरक्षित तरीके से की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रांग रूमों की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) का रास्ता एक–दूसरे से न टकराए। मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) की वीडियोग्राफी भी की जाती है।

iii. मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाएंगी।

iv. कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना स्टाफ द्वारा सील की गहन जांच की जाती है।

v. कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म 17ग में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।

vi. कंट्रोल यूनिट पर मतदान का प्रारंभ समय एवं तारीख और मतदान की समाप्ति समय और तारीख सत्यापित की जाती है और पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है।

vii. मतगणना एजेंट फॉर्म 17ग में हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है जिसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।

viii. आयोग ने पोलिंग स्टाफ द्वारा प्रक्रियात्मक चूक करने या मतदान की तारीख और समय के विवरण में असंगति के मामले में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट अनुदेश दिए हैं।

ix. प्रत्येक चक्र की मतगणना पूरी होने पर, रिटर्निंग अधिकारी उस चक्र के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के आखिरी चक्र के अंत में, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 Randomly रूप से चयनित मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अधिदेशात्मक सत्यापन करते हैं।

x. इन 5 इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों का यादृच्छिक चयन आयोग द्वारा अपने अनुदेश सं. 51/8/वीवीपैट–अनु./2019–ईएमपीएस, दिनांक 15.04.2019 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरओ द्वारा चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से किया जाता है।

xi. उम्मीदवारों को चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के संबंध में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।

xii. यदि ईवीएम में दर्ज मतों और वीवीपैट पेपर पर्ची गणना के बीच कोई असंगति होती है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ)(4)(ख) के अनुसार वीवीपैट पेपर पर्ची मान्य होगी।

xiii. ईवीएम मतगणना और अधिदेशात्मक वीवीपैट पेपर पर्ची गणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।

xiv. मतगणना के शुरू होने से लेकर परिणाम घोषित किए जाने तक आयोग के प्रेक्षक मौजूद बने रहते हैं।

xv. मेरे निर्वाचन क्षेत्र 56–दादरी में, JVMGRR PG College, Charkhi Dadri पर दिनांक 08.10.2024 को आयोग के मतगणना प्रेक्षक Sh. Buddesh Kumar

Vaidy और उम्मीदवार/उनके मतगणना/चुनाव एजेंट की उपस्थिति में मतगणना संपन्न हुई। वैसे मतदान केंद्र जो निर्देशानुसार वीवीपैट पर्ची गणना के लिए रैडंम रूप से चयनित किए गए थे, क्रम सं. 66–रासीवास, 128–मानकावास, 140–अटेला खुर्द, 151–बिरही कलां, 163–कस्बा दादरी पर थे।

14. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार/उनके एजेंट चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। आयोग के प्रत्येक दिशा–निर्देशों का प्रक्षेण तथा पालन किया गया एवं समय–समय पर आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में समय से सूचित भी किया गया। आपके उम्मीदवार/प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे थे तथा चुनाव के विभिन्न सोपानों का उनके समक्ष कार्यान्वयन किया गया है । मतगणना के दौरान या बाद में उसी दिंन किसी भी अभ्यार्थी या चुनाव अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता ने ई0वी0एम0 की कार्यप्रणाली, बैटरी सम्बंधित व अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत चुनाव पर्यवेक्षक व मेरे सामने प्रस्तुत नही की थी। मतगणना की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी तरीके से विधिवत रूप से सम्पन्न हुई थी।

15. बैटरी पैक के ऊपर 90 प्रतिशत चार्ज दर्शित (डिस्प्ले) होनाः– जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले में बैटरी की स्थिति का 90 प्रतिशत प्रदर्शित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सीलबंद की जाती है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज के 7.4 के ऊपर होने पर बैटरी की क्षमता 99 प्रतिशत प्रदर्शित होती है। उपयोग के साथ बैटरी की क्षमता और परिणामी वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी की वास्तविक उपलब्ध क्षमता यानि 98 प्रतिशत से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्प्ले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भिन्न–भिन्न हो सकती है।

16. यह दोहराया जाता है कि इलेक्ट्रॉहनिक वोटिंग मशीनों को सख्त प्रोटोकॉल और हर समय केन्द्री य सशस्त्रै पुलिस बल (सीएपीएफ), पुलिस आदि के सुरक्षा कवर में रखा गया है। अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ आप/आपके अधिकृत एजेंट ईवीएम हैंडलिंग के प्रत्येतक चरण – बैटरी सेक्शन को सीलबंद करने के समय से शुरू करके उन्हें वापस स्ट्रांग रूम में स्टोर करने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर निकालने के समय, पूरे मतदान के दिन, मतदान बंद होने के समय सीलबंद करने, उन्हें पुनः मतदान केंद्रों से ढोकर स्ट्रांग रूम में ले जाने, मतगणना के दिन उन्हें सभी सील के साथ बाहर लाने तक – में शामिल थे।

17. इसके अलावा, वर्ष 2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 434 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र सं. 51/8/अनुदेश/2024–ईएमएस, दिनांक 01.06.2024 में समाविष्ट. अपने अनुदेशों के जरिए प्रशासनिक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्दिष्टे की है जिसमें जांच की जाने वाली यूनिटों को बाहर निकालने की आवेदन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल तथा ईवीएम यूनिट (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की बर्न्टि मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की मतगणना उपरांत जांच और सत्या पन, प्रलेखन कार्य, आदि के लिए संरक्षोपाय एवं प्रोटोकॉल वर्णित किए गए हैं। उक्त अनुदेशों के पैरा 3(सी) में दी गई समय–सीमा के अनुसार, पात्र उम्मीदवार परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर संबंधित डीईओ से लिखित अनुरोध कर सकते हैं। मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 56–दादरी से आईएनसी व अन्य पार्टी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से मुझे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

18. इन सबके अलावा, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं 56–दादरी में श्री बुधेश कुमार वैद्य, आई0ए0एस0, एम0पी0 2014 सामान्यन प्रेक्षक व मतगणना प्रेक्षक के रूप में, श्री प्रीतेन्द्र सिंह, आई प्रतिशत 0पी0एस0, यु0पी0 2004 पुलिस प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। सभी के कांटैक्ट नं. सभी उम्मी्दवारों को उपलब्ध कराए गए थे। सभी प्रक्रियाएं प्रेक्षकों की निगरानी में पूरी की गईं। आपके उम्मीगदवारों/एजेंटों द्वारा प्रेक्षकों के समक्ष भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

19. 56—दादरी के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में मैंने चुनाव आयोग के सभी अनुदेशों का पूरी तरह से अध्ययन किया है। आयोग के निर्देशानुसार मैंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है और उन्हें प्रत्येक चरण की सूचना लिखित रूप में, उनसे मिली पावतियों के साथ, दी है। जब कभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया, तो मैंने या मेरे सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने उसका विद्यमान उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार तुरंत निराकरण किया। पुनः आपकी शिकायत में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर तथ्य आधारित पड़ताल की गई जिसमें आपके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाए गए।

यहां पुनः अवगत करवाया जाता है कि – प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के दौरान राजनैतिक दलों से मुख्यतः श्री बलजीत फौगाट, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, श्री रिम्पी फौगाट, आम आदमी पार्टी, श्री राजेन्द्र सिंह घिकाड़ा, इडियन नेशनल लोक दल, श्री मनबीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी, प्रथम चरण के रैंडमाइजेशन के दौरान श्री सुमेश कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस व श्री रिम्पी फौगाट, आम आदमी पार्टी द्वितीय चरण के रैंडमाइजेशन के दौरान श्री हेमन्त, निर्दलीय, श्री राहुल, लाकतंत्र सुरक्षा पार्टी, श्री सतेन्द्र सिंह, निर्दलीय, श्री कृष्णा, राष्ट्रीयवादी जन लोक पार्टी, श्री संजीव गोदारा, आम आदमी पार्टी, श्री शशिकांत, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री आनंद श्योराण, बहुजन समाज पार्टी व श्री अजीत फौगाट, निर्दलीय इत्यादि चुनाव से पांच—सात दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग, बैटरी लगाने के पश्चात उसके एड्रेस टैग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेना, तत्पश्चात स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण, वितरण केन्द्र से पोलिंग पार्टियों को चालू (कमीशन) की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वितरित करने, पोलिंग पार्टियों के मतदान केन्द्रों तक पहुंचने, मतदान वाले दिन मतदान से पहले मॉक पोल करने, पूरे दिन मतदान होने, मतदान के पश्चात क्लोज का बटन दबाने, मतदान के दौरान कितनी वोटिंग हुई उसका हिसाब पोलिंग एजेंट को देने, मतदान के बाद ईवीएम को सीलबंद करने तथा उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेने, तदुपरांत ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर स्ट्रांग रूम में जमा कराने तथा स्ट्रांग रूम को सीलबंद करने के दौरान श्री जोगेन्द्र सांगवान, आपके चुनाव प्रतिनिधि उपस्थित रहे, फिर मतगणना वाले दिन स्ट्रांग रूम को खोलने के दौरान आप स्वंय उपस्थित रहे, ईवीएम को काउटिंग हॉल में लाने, मतगणना करने से पहले ईवीएम की सील चैक करने तथा पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करने, मतगणना के दौरान

प्रत्येक चक्र में फॉर्म–17ग से ईवीएम में पड़े मतों का मिलान करने, चक्रवार परिणाम घोषित करने –इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं। मतदान के अगले दिन यानी चुनाव प्रपत्रों की जांच के समय या उसके बाद स्ट्रांग रूम को सील करने समय भी आप या आपके प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे। पूरी प्रक्रिया विडियोग्राफी के तहत और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में भी आयोजित की गई थी। यह प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रमाणित करता है और स्थापित प्रक्रिया के साथ छेडछाड करने का कोई मौका नहीं देता है और मशीनों को किसी के द्वारा किसी भी स्तर पर बदला नहीं जा सकता है। इसलिए, आपकी आशंकाएें निराधार और तथ्यहीन हैं।

इसके अतिरिक्त, इन समस्त प्रक्रियाओं की केन्द्रीय प्रेक्षकों, सेक्टर अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की गई है तथा ये सभी प्रक्रियाएं वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज/लॉग बुक/रजिस्टर में प्रविष्टियों के अंतर्गत कवर की गई हैं। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हेर–फेर अथवा जोड़–तोड़ सर्वथा असंभव है।

इसलिए, आपके द्वारा लगाए गए आरोप वेबुनियाद, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार (ऑफ्टरथॉट) से प्रेरित प्रतीत होते हैं और मिथ्या नैरेटिव गढ़ने की भावना से ग्रसित प्रतीत होते हैं। इसके बावजूद, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इस प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है।

(नवीन कुमार, एच0सी0एस)
रिटर्निंग अधिकारी,
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–कम,
उपमण्डल अधिकारी(ना0), चरखी दादरी।

पृ0क्रमांक....9519–9520......./स्टैनो दिनांक 18.10.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी।

(नवीन कुमार, एच0सी0एस)
रिटर्निंग अधिकारी,
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–कम,
उपमण्डल अधिकारी(ना0), चरखी दादरी।

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-1

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1655 दिनांक: 29-07-2024

सेवा में,

1. जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के प्रधान/सचिव

विषय:– **Deployment of BEL Engineers for FLC of EVMs & VVPATs at Haryana to be used during Forthcoming General Election to Haryana Vidhan Sabha 2024.**

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ के पत्र क्रमांक 256/HVS/Elec-2024/E-1016401/3AE-7140 दिनांक 18.07.2024 के निर्देशानुसार दिनांक 01.08.2024 से BEL Engineers के द्वारा EVMs/VVPATs की FLC की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं/आपका प्रतिनिधि दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे EVM Ware House, Charkhi Dadri में पहुंचने का कष्ट करें ताकि FLC का कार्य आपकी उपस्थिति में शुरू करवाया जा सके।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

1. (AAP) 30-7-24

2. Received Ravinder

3. सतबीर सिंह 9813899200 (BJP)

4. जय भगवान 9215349999 (INLD) Jai Bhagwan

5. B. Ajit Phogat Block President Congress 9812620081

O/C

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-1

स्मरण पत्र–1

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1686 दिनांक 03.08.2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषयः– **Deployment of BEL Engineers for FLC of EVMs & VVPATs at Haryana to be used during Forthcoming General Election to Haryana Vidhan Sabha, 2024.**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1655 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा लिखा गया था कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मद्येनजर इस जिला की ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक BEL के Engineers द्वारा की जा रही है और उक्त सन्दर्भित पत्र के तहत ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) के दौरान प्रतिदिन आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था परन्तु दिनांक 01.08.2024 को केवल 3 राजनैतिक दलों (AAP, INLD & INC) तथा 02.08.2024 को केवल 2 राजनैतिक दलों (BJP & AAP) के प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ई0वी0एम0/ वी0वी0पेट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) के दौरान आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि प्रतिदिन नियमित तौर पर जिला ई0वी0एम0 वेयरहाऊस में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

~~9813639702~~

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

O/C

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-1

स्मरण पत्र–2

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1701 दिनांक 07/08/2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,
(सिवाये BJP & AAP)

विषयः– **Deployment of BEL Engineers for FLC of EVMs & VVPATs at Haryana to be used during Forthcoming General Election to Haryana Vidhan Sabha, 2024.**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1655 दिनांक 29.07.2024 तथा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1686 दिनांक 03.08.2024 के द्वारा लिखा गया था कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मद्येनजर इस जिला की ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक BEL के Engineers द्वारा की जा रही है और उक्त सन्दर्भित पत्रो के तहत ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) के दौरान प्रतिदिन आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था परन्तु आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आप स्वयं/आपका प्रतिनिधि नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुए हो।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ई0वी0एम0/ वी0वी0पेट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) के दौरान आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि प्रतिदिन नियमित तौर पर जिला ई0वी0एम0 वेयरहाऊस में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

E-mail: electdadri@gmail.com. electionoffice.56@gmail.comwebsite : https://ceoharyana.gov.in/, Court Complex No. 14, Charkhi Dadri

बा

Annexure-11

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 01.08.2024

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1	AAP	रविन्द्र फौगाट	N.C DEC 22/341	[signature]	
2	कांग्रेस	बलजीत फौगाट	[illegible] BWN361	[signature]	
3	INLD [signature]	राजेन्द्र सिंह चिमाड़ा	संगठन महासचिव	[signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[signature]

Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

11

Date:- 02.08.2024

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1.	BJP	[illegible]	[illegible]	[signature]	
2.	AAP	[illegible]	AVCC AAP	[signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[signature]

Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana
Name District: Charkhi Dadri
Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 03-8-2024

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1.	AAP	[illegible]	N.C. AAP	[signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[signature]
Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana
Name District: Charkhi Dadri
Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 04/8/24

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
	[illegible] AAP	[illegible] AAP N.C.	[illegible] 221341	[illegible]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[illegible]
Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 06/8/24

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
	AAP	[illegible] N.C	6/8/24 22/341	[signature]	
	BJP	[illegible]	6.8.24	[signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[signature]

Dy. District Election Officer,

Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana
Name District: Charkhi Dadri
Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 08-08-24

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1.	B.J.P.	[illegible]		[illegible]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

O/C

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

चुनाव का पर्व DESH KA GARV

Annexure-III

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1702 दिनांक : 07/08/2024

सेवा में,

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई0 वी0 एम0 वेयरहाउस में EVMs (BU, CU & VVPATs) का First Level Checking का कार्य चल रहा है। 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll दिनांक 09.08.2024 को सुबह 9 बजे से शुरू करवाया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि आप स्वयं /आपका प्रतिनिधि दिनांक 09.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे EVMवेयर हाउस चरखी दादरी में पहुँच कर उक्त mock poll प्रकिया के दौरान उपस्थित रहने का कष्ट करे।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/1703 दिनांकः 07/08/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Annexure-IV

ANNEXURE-7

(Mock Poll Selection Certificate during FLC of EVMs)

Date: 09.08.2024

Name of State:- Haryana
Name of District: Charkhi Dadri
Address of FLC Hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

It is certified that I have been allowed to pick machines (EVMs as well as VVPATs) randomly for the purpose of mock –poll.

[illegible]	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
	BJP	KEDAR NATH Office Sah Secy		[signature]	
	AAP	[illegible] N. (22)241		[signature]	
	JJP	[illegible]		[signature]	
	B.S.P	Shivkumar Ex president		[signature]	
	B.S.P.	om parkash Distt president		[signature]	
	B.J.P	[illegible] Distt. Office. Secretary	9813899200	[signature]	

[signature]
Dy. D.E.O.
Charkhi Dadri

Annexure-IV

ANNEXURE-8

(Mock Poll by Representatives of National and State Recognised Political Parties during FLC of EVMs)

Date: 09.08.2024

Name of State:- Haryana

Name of District:- Charkhi Dadri

Address of FLC Hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

It is certified that I have done mock poll on .... EVMs along VVPATs and I am fully satisfied with the function of EVMs and VVPATs

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No.with date	Signature of representative	Remarks, if any.
	BJP	KEDAR NATH office Asst Secy		[signature]	
	AAP	[illegible] N.C.22/241		[signature]	
	JJP	[illegible]		[signature]	
	B.J.P	[illegible] Dy. office Secretary	9813849900	[signature]	

[signature]
Dy. D.E.O.
Charkhi Dadri

Annexure-IV

ANNEXURE-9

(Mock Poll certification during FLC of VVPAtS)

Date:.09..08.2024

Name of State:- Haryana

Name of District:- Charkhi Dadri

Address of FLC Hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

It is certified that the **results of the printed ballot slips of VVPATs** ***(list of unique ID of VVPATs attached)*** **have been tallied with the electronic result of the respective Control Units.** There are no discrepancies between the electronic count of the Control Units and count of printed ballot paper slips of VVPATs.

No.	Name of National/ State PoliticalParty	Name of representativeof political party with party affiliation	Identity documentNo. with date	Signature of representative	Remarks,if any.
	BJP	KEDAR NATH office Sectt Sec.		[illegible]	
	AAP	[illegible]		[illegible]	
	JJP	Rakesh Kellar		[illegible]	
	B.J.P.	[illegible]		[illegible]	

Name and Signature of BEL/ECIL Engineers

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Signature) ....[illegible]

Name of FLC-Supervisor...Ashish Sangwan, HCS

Designation...CTM-cum-Dy.DEO

Dy. D.E.O.
Charkhi Dadri

O/C

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-V

पत्र क्रमांक निर्वाचन--2024 / 1702 दिनांक : 07/08/2024
सेवा में,

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान / सचिव,

विषय **5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई0 वी0 एम0 वेयरहाउस में EVMs (BU , CU & VVPATs) का First Level Checking का कार्य चल रहा है। 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll दिनांक 09.08.2024 को सुबह 9 बजे से शुरू करवाया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि आप स्वयं /आपका प्रतिनिधि दिनांक 09.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे EVMवेयर हाउस चरखी दादरी में पहुँच कर उक्त mock poll प्रकिया के दौरान उपस्थित रहने का कष्ट करे।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन--2024 / 1703 दिनांकः 07/08/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

E-mail electdadri@gmail.com. electionoffice.56@gmail.comwebsite : https://...
No. 11, Charkhi Dadri

30/08/24

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-VI

क्रमांकः निर्वाचन–2024/1919 दिनांकः 29.08.2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषयः– 1st Randomization of EVMs for General Election to Haryana Vidhan Sabha-2024 regarding.

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा चण्डीगढ के पत्र क्रमांक 256/Randomization/Gen. Elec.2024/3AE-8526 दिनांक 29.08.2024(प्रति सलंग्न) के सन्दर्भ में।

सन्दर्भित पत्र की पालना में आपको अवगत करवाया जाता है कि EVMs/VVPATs की 1st Randomization दिनांक 02.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हाल नं0 1 लघु सचिवालय में किया जाना है तथा 1st Randomization उपरान्त EVMs/VVPATs को 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में स्थानान्तरित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप/आपका प्रतिनिधि दिनांक 02.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे मीटिंग हाल नं0 1 लघु सचिवालय चरखी दादरी में पहुँचने का कष्ट करें, EVMs/VVPATs के स्थानान्तरण के दौरान तथा 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में भी उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024/1920 दिनांक 29.08.2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादारी।
3. 55–बाढडा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि वह 1st Randomization उपरान्त EVMs/VVPATs को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रखवाने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Annexure-VII

Attendance Register for National and State Recognised Political Parties During 1st Randomization of EVMs/VVPATs at meeting Hall No.-1 Mini Secretariat Under the Chairmanship of Deputy Commissioner-cum- District Election Officer.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date:02.09.2024

S. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks,if any.
1	AAP	[illegible]	N.C	[illegible]	
2	INC	Sumesh Kumar	m.b	[illegible]	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Annexure-VIII

After the 1st Randomization of EVMs/VVPATs, List of EVMs/VVPATs of 55- Badhra & 56- Dadri Assembly Constituency Provided to All National/State Recognised Political Parties and obtain written acknowledgment..

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date: 02.09.2024

S. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Mobile No.	Identity document No. with date	Signature of representative
1	AAP	[illegible]	9813639700	N.C	[illegible]
2	I.N.C.	Sumit Kumar	8059057605	M.B.	[illegible]
3	B.J.P.	मनजीत सिंह कार्यालय सचिव	9813899200		[illegible]
4	I.N.L.D	दीपक (जोगेन्द्र [illegible]) युवा जिला अध्यक्ष	9355533333		Sheoran
5	JJP	Rishipal Umarwas [illegible]	9050190543		Rishipal
6	BSP	[illegible]	98121598[illegible]		[illegible]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Annexure-IX

प्रेषक,

रिटर्निंग अधिकारी
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), चरखी दादरी।

सेवा में,

56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यर्थी।

क्रमांक : 420 दिनांक : 18-09-2024

विषय :– **1st supplementary Randomization and 2nd Randomization of EVMs for General Election to Haryana Vidhan Sabha-2024 regarding.**

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ के पत्र क्रमांक No.256/Randomization/Gen. Elec. 2024/3AE-9936 दिनांक 17.09.2024 के सन्दर्भ में:–

उक्त सन्दर्भित पत्र के तहत हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाली **EVMs/VVPATs** का **2nd Randomization** दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे मीटिंग हॉल नं0 1, लघु सचिवालय, चरखी दादरी में सामान्य पर्यवेक्षक महोदय व अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे मीटिंग हॉल नं0 1, लघु सचिवालय, चरखी दादरी में पहुँचने का कष्ट करें।

रिटर्निंग अधिकारी
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक: 421 दिनांक: 18-09-2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी।

रिटर्निंग अधिकारी
56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), चरखी दादरी।

Annexure - X

Attendance Register for All Contesting Candidates of 56-Dadri AC During 2nd Randomization of EVMs/VVPATs at Meeting Hall No.-1 Mini Sec. Charkhi Dadri in presence of ECI General Observer & RO of 56-Dadri AC.

Name of State: Haryana
Name of District: Charkhi Dadri
No. & Name of AC- 56-Dadri

Date:24.09.2024

S. No.	Name of Contesting Candidates /Election Agents	Name of political party/Independent	Signature	Mob. No.
1	HEMANT	INDEPENDENT	Hemant	9050040014
2	Rahul	Loktantra Suraksha	Rahul	9812532571
3	Satinder Singh	INDEPENDENT	Satinder	9350515159
4	Krishna	Rastrya vadi Janlok party	[illegible]	9518894932
5	Sanjeev Godara	AAM AADMI PARTY	[illegible]	7279002600
6	SHASHIKANT	INDIAN NATIONAL CONGRESS.	[illegible]	9992529217
7	[illegible]	BJP	[illegible]	9991608890
8	Sandeep Kumar	Indipendent	[illegible]	9354822221
9	Anand Sheoran	B. S. P.	[illegible]	8816052053
10	सुनीलकुमार	निर्दलीय	सुनीलकुमार	9050571590
11	Ramsharan	Independent	[illegible]	7988433779
12	[illegible]	निर्दलीय	Narender	9671641959
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Annexure -XI

After the 2nd Randomization of EVMs/VVPATs, List of EVMs/VVPATs along with 1st Randomization list of 56- Dadri Assembly Constituency Provided to All Contesting Candidates of 56-Dadri AC and obtain written acknowledgment.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

No. & Name of AC:- 56-Dadri

Date: 24.09.2024

S. No.	Name of Contesting Candidates /Election Agents	Name of political party/Independent	Signature	Mob. No.
1	CHEMANT	INDEPENDENT	Hemant	9050041014
2.	Satinder Singh	INDEPENDENT	Satinder	9350559
3	Rahul	Loktantra Surakshe Party	Rahul	9812532571
4	Krishna	Rastryavadi Janlok party	[illegible]	9518894932
5	SANJEEV GODARA	AAM AADMI PARTY	[illegible]	7272002600
6	SHASHIKANT	INDIAN NATIONAL CONGRESS	[illegible]	9992529217
7	Nupur	BJP	Nupur	9991606890
8	Sandeep Chhapalia	Indipendent	[illegible]	9354822221
9	Anand Sheoran	B.S.P.	[illegible]	8816053553
10	सुनील कुमार	निर्दलीय	सुनील कुमार	9058511520
11	Ramsharan	Independent	[illegible]	7988433779
12	अनिल मांडोला	निर्दलीय	Narender	9671641959
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Annexure-XII

चुनाव का पर्व
PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

क्रमांकः निर्वाचन–2024 / 2238 दिनांकः 19.09.2024

सेवा में

55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यर्थी

विषयः– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 – Commissioning of EVMs/VVPATs regarding.

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर EVMs/VVPATs की 2nd Randomization उपरांत दिनांक 26.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे जिला चरखी दादरी में पडने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55– बाढडा व 56– दादरी से संबंधित EVMs/VVPATs Commissioning का कार्य क्रमशः Auditorium Hall, JDKDES Public School, Charkhi Dadri व Library Hall, JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में शुरू किया जाना है।

अतः आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उक्त स्थानों पर तय समय पर पहुंचने का कष्ट करें ताकि आपकी उपस्थिति में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room खुलवा कर EVMs/VVPATs की Commissioning का कार्य शुरू करवाया जा सके।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2239 दिनांक 19.09.2024

इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि वह दिनांक 26.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे अपने– अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यार्थियों की उपस्थिति में Strong Room खुलवा कर EVMs/VVPATs की Commissioning का कार्य शुरू करवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र को अपने–अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियो/चुनावं अभिकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवा कर पावती प्राप्त करने का भी कष्ट करे।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2240 दिनांक 19.09.2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रतिः– निजि सहायक, उपायुक्त महोदय

(6)

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व PRADESH KA GARV HARYANA VIDHAN SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XIII

क्रमांकः निर्वाचन–2024/2591 दिनांकः 02.10.2024

सेवा में

55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यार्थी।
(रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से)

विषयः– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव– 2024– मतदान के लिए मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Strong Room खोलने बारे।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव– 2024 के मध्यनजर जिला चरखी दादरी में पडने वाले दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55– बाढडा व 56– दादरी में मतदान के लिए दिनांक 04.10.2024 को मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवा कर मतदान के लिए रवाना किया जाएगा। इसलिए मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 08:00 बजे दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का Strong Room खोला जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वय/आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अधिकृत पत्र के साथ दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 08:00 बजे अपने–अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri (55-Badhra) & JVMGRR PG College, Charkhi Dadri (56-Dadri) में पहुंचने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024/2592 दिनांक 02.10.2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेपित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।
3. जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारी।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रतिः– निजी सहायक, उपायुक्त महोदय।

Annexure - XIV

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024–स्ट्रॉग रुम की सुरक्षा **CPF** गार्द को सौंपने बारे ।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024 के मध्यनजर जिला चरखी दादरी के अन्तर्गत पड़ने वाले 56.–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र नं0 1 से...245 तक की ई.वी.एम.(सी.यू. / बी.यू. / वी.वी.पैट.) मतदान के उपरान्त निश्चित स्ट्रॉग रुम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षित रखवा दी गई है तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु कैमरों की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्ट्रॉग रुम को बन्द करने के बाद उस पर सील लगाई गई । सीलिंग के समय भारत निर्वाचन आयोग के केन्द्रीय पर्यवेक्षक, उपायुक्त एव जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा निम्नलिखित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि भी उपस्थिति थे ।

[signature] 6/10/24

Handed Over(RO)

Taken Over(~~AC~~, SSB)
[signature] SI/AD (P/t Comdr) 06/10/24

Place: Charkhi Dadri

Dated: 05.10.2024

स्ट्रॉग रुम सीलिंग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी / चुनाव अभिकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों का विवरण

Sr. No.	Name of Contesting Candidate/Election agent/Authorized Representative	Signature
1	योगेन्द्र सांगवान पार्टी कांग्रेस	Jogender
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Annexure-XV

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024—स्ट्रॉंग रुम खोलने बारे ।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024 की मतगणना हेतू 56.—दादरी निर्वाचन क्षेत्र का Strong Room आज दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 08:00 बजे खोला गया। Strong Room खोलते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/केन्द्रीय पर्यवेक्षक/56.—दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा निम्नलिखत अभ्यार्थी/प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

Place: Charkhi Dadri
Dated: 08.10.2024

स्ट्रॉंग रुम खोलने की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी/चुनाव अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों का विवरण

Sr. No.	Name of Contesting Candidate/Election agent/Authorized Representative/Counting Agent	Signature
1	Anand SHEORAN	[signature]
2	SUNIL SANGWAN	[signature]
3	Khan Raj Kunda	[signature]
4	Manisha Sangwan	[signature]
5	Satinder Singh	[signature]
6	HEMANT	Hemant
7	सुनील कुमार	सुनील कुमार
8	Krishna	Krishna
9	Banod Kumar Sangwan	[signature]
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का
DESH KA GARV

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XVI

पत्र क्रमांक निर्वाचन--2024/1715 दिनांक : 12/08/2024

सेवा में,

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय **FLC ok unit व CUs Pink Paper Seal की सूची उपलब्ध करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार FLC Completion उपरान्त FLC Ok Units व CUs Pink Paper Seal की सूची आपको उपलब्ध करवाई जानी होती हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना में आपको इस पत्र के साथ FLC Ok Units व CUs Pink Paper Seal की सूची आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जा रही है।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन--2024/1716 दिनांकः 12/08/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Received

SANJEEV GODARA
Aam Aadmi Party
12 Aug 2024

E-mail eleddadri@gmail.com electionoffice...

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व PRADESH KA GARV HARYANA VIDHAN SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XVII

To

All Contesting Candidates/Election Agents of
55-Badhra & 56-Dadri Assembly Constituencies.
(Through Returning Officers)

Memo- Election-2024/ 2369 Date: 25.09.2024

Subject- General Election to legislative Assembly of Haryana- 2024- Notice/Information to the Candidates/Election Agents regarding various important activities related to the election.

On the above noted subject, it is intimated that various dated bound activities are to be completed at the Assembly Constituency level related to the Elections. The details are as under:-

Sr. No.	Details of activities	Schedule
1	Voter information slips will be distributed to the Electors along with Voters Guide and invitation letter of the ECI.	23.09.2024 to 30.09.2024
2.	EVMs will be commissioned and prepared at Assembly Constituency level at following locations:- 1. **55- Badhra**- Auditorium Hall, JDKDES Public School, Charkhi Dadri. 2. **56- Dadri**- Library Hall, JVMGRR PG College, Charkh Dadri.	Start from 26.09.2024
	After completion of the commissioning process i.e. symbol loading process. SLU containers will be sealed. The candidates of their representatives are allowed to be present and sign the seals pasted on SLU container..	29.09.2024 at 06:00 P.M
3.	1. Mock Poll in 5% randomly selected EVMs 2. After commissioning sealing of strong Rooms of EVMs and VVPATs Assembly Constituency wise. You are requested to remain present during mock poll and sealing of strong rooms thereafter.	29.09.2024 at 09:00 A.M
4.	Voters Facilitation Centre will be set up for the polling for Voter on Election Duty at following locations:	30.09.2024 To 04.10.2024
	1. **55-Badhra** at JDKDES Public School, Charkhi Dadri. 2. **56-Dadri** at JVMGRR PG College, Charkhi Dadri.	
	Political Parties / Contesting candidates can send their representatives to witness the process of voting at the V.F.Cs. Candidates may also sit and watch the process of voting.	

चुनाव का पर्व PRADESH KA GARV HARYANA VIDHAN SABHA ELECTION 2024

5.	Home voting in all Assembly Constituencies of District-Charkhi Dadri will be done for AVSC and AVPD voters by polling parties. You may appoint Polling agents in Form 10 or authorized representatives (including BLAs) to witness this process.	Ist Visit – 27.09.2024 to 28.09.2024 2nd Visit- 29.09.2024
	After the completion of Commissioning, Sealed SLU containers deposited with District Election Officer. Therefore you are requested to remain present at Strong Rooms.	29.09.2024 at 06:00 PM
6.	Shifting of EVMs/VVPATs found Defective during Commissining from Assemblies Strong Rooms to District EVM Warehouse. Therefore you are requested to remain present during Shifting of EVMs/VVPATs at Strong Rooms & District EVM Warehouse.	29.09.2024 at 06:00 PM
7.	**Opening of Strong Room for Polling-** Strong Rooms of all Assembly Constituencies will be opened on 04.10.2024 for the dispersal of EVMs to the Polling Parties. Therefore you are requested to remain present during opening of the Strong Rooms.	04.10.2024 at 08:00 AM
8.	**Strong Room Sealing after Polling (Category A&B)- Catogary A-** (Polled EVMs & VVPATs) and **Catogary-B** (Non-functional polled EVMs & VVPATs) EVMs & Election papers of all Assembly Constituencies will be sealed in the strong rooms of their respective Assembly Constituency after completion of Poll. Therfore, you are requested to remain present during sealing og the Strong Rooms.	05.10.2024 at 10:00 PM (Approx)
9.	Storage of **Category C** [non-functinal polled EVMs and VVPATs (failed during mock poll)] and **Category D** (unused reserved EVMs &VVPATs). **Category C&D** EVMs of all Assembly Constituencies will be deposited at district EVM warehouse, Charkhi Dadri.	05.10.2024 at 10:00 PM (Approx)
10.	Opening of Election Papers Strong Room for taking out Election Papers for scrutiny of Polling- All constesting candidates are intimated that Election papers strong room of all Assembly Constituencies of District will be opened and scrutiny of Election Paper of Polling will be done on 06.10.2024 at 11:00 A.M at Meeting Hall No. 1, Mini Secretariat, Charkhi Dadri.	06.10.2024 at 11:00 AM.

चुनाव का पर्व
PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

11.	**Scrutinies of Polling-** All contesting candidates are informed that scrutiny of Polling will be done on 06.10.2024 at 11:00 A.M at Meeting Hall No. 1, Mini Secretariat, Charkhi Dadri. After scrutiny all election papers will be resealed in the Election paper strong rooms of respective Assembly Constituency.	06.10.2024
12.	**Monitoring of Strong Room of Polled EVMs-** You may appoint your representative to monitor the Strong Rooms from the	05.10.2024 to 08.10.2024
13.	**Opening of Strong Room for counting-** Strong Rooms of all Assembly Constituencies will be opened on 08.10.2024 for the counting purpose. Therefore your requested to remain present during opening of the Strong Rooms.	08.10.2024 at 07:00 AM
14.	**Sealing of EVM/VVPAT and other documents after counting-** You are requested to remain present during the sealing process of EVM and Election papers after counting process.	08.10.2024 after counting

Therefore, all contesting candidates/Election Agents are requested to remain present during all activities as mentioned above on the given date, time and place. This is for your kind information and necessary action.

For: Deputy Commissioner-cum-
District Election Officer,
Charkhi Dadri.

Endst. No. Election-2024/ 2370 Date: 25.09.2024

A Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action.

1. CEO, Haryana.
2. General Observer (Through Liasion Officer)
3. ROs, 55-Badhra & 56-Dadri.

For: Deputy Commissioner-cum-
District Election Officer,
Charkhi Dadri.

Copy: PA to DC.

Annexure-XVIII

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व PRADESH KA GARV HARYANA VIDHAN SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

क्रमांकः निर्वाचन–2024 / 2474 दिनांकः 28.09.2024

सेवा में

1. 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यार्थी
2. जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान / सचिव।

विषयः– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024– Shifting of Defective EVMs / VVPATs- reg.

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिला चरखी दादरी में पड़ने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55–बाढड़ा व 56–दादरी से सम्बन्धित EVMs / VVPATs की commissioning उपरान्त Defective पाई गई EVMs / VVPATs को 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के Strong Room क्रमश JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri से District EVM Warehouse, Behind Sadar Thana Charkhi Dadri में स्थानान्तरित किया जाना है।

अतः आप स्वयं / आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि EVMs/VVPATs स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे अपने–अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri, JVMGRR PG College, Charkhi Dadri व District EVM Warehouse, में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2475 दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि आप उक्त बारे अपने–अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यार्थियों / चुनाव अभिकर्ताओं को इस पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अवगत करवाते हुए पावती प्राप्त करने का कष्ट करें तथा अभ्यार्थियों / चुनाव अभिकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में Defective EVMs / VVPATs का स्थानान्तरण करवाने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2476 दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति जिला स्तर पर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी (EVMs/VVPTs) एवं कार्यकारी अभियन्ता (प0रा0), चरखी दादरी को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त Defective EVMs/VVPTs को अपनी देख–रेख में District EVM Warehouse, Charkhi Dadri में सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व
PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2477 दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षका, चरखी दादरी को भेजते हुए अनुरोध है कि आप दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमश JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri पर पर्याप्त पुलिस गार्द उपलब्ध करवाने का कष्ट करे ताकि Defective EVMs/VVPTs सुरक्षित स्थानान्तरण करवाया जा सके।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2478 दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति पी0 एल0 ए0 शाखा, उपायुक्त कार्यालय चरखी दादरी को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप दिनांक 29.09.2024 को सांय 05:00 बजे एक GPS लगा हुआ ट्रक JDKDES Public School, Charkhi Dadri में भेजना सुनिश्चित करें ताकि Defective EVMs/VVPTs सुरक्षित स्थानान्तरण करवाया जा सके।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2479 दिनांक 28.09.2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रतिः– निजि सहायक, उपायुक्त महोदय

Annexure -XIX

चुनाव का पर्व
PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024 / 2465

सेवा में, दिनांक : 28.09.2024

1. Sh. Umesh Kumar, Principal, GSSS, Rehrodi (Harodi)
2. Sh. Yashpal, Principal GSSS, Rambas.
3. Sh. Preetam Kumar Principal, GSSS, Kari Dharni.
4. Sh. Shamsher Singh Principal, GGSSS, Baund Kalan.
5. Sh.Jaivir Singh Principal GSSS, Kari Adu.
6. Sh. Harikishan Rana, Principal GSSS, Chandwas.

(Through District Education Officer, Charkhi Dadri)

विषय :– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024– मतदान उपरान्त EVMs/VVPATs के Strong Room की Monitoring बारे।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर दिनांक 05.10.2024 को मतदान उपरान्त Polled EVMs/VVPATs व अन्य चुनाव कागजात को Strong Room में शील करवा दिया जायेगा। Hand Book for RO 2023 के Chapter 13 के बिन्दु नं0 13.54.5 के अनुसार Strong Room की सुरक्षा प्रबन्धों की Round the clock Monitoring के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के साथ–साथ पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने की हिदायत हैं। उक्त हिदायतों की पालना में 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमश JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri के लिए आपको Strong Room की Monitoring के लिए दिनांक 06.10.2024 से दिनांक 08.10.2024 तक नियुक्त किया जाता है तथा निम्न अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व समय निर्धारित किया जाता है।

Sr. No.	No. & Name of AC	Name of Officer with Desiganation	Time
1	55-Badhra	Sh. Umesh Kumar, Principal, GSSS, Rehrodi (Harodi)	06:00 AM to 02:00 PM
2		Sh. Yashpal, Principal GSSS, Rambas	02:00 PM to 10:00 PM
3		Sh. Preetam Kumar Principal, GSSS, Kari Dharni	10:00 PM to 06:00 AM
4	56-Dadri	Sh. Shamsher Singh Principal, GGSSS, Baund Kalan.	06:00 AM to 02:00 PM
5		Sh.Jaivir Singh Principal GSSS, Kari Adu.	02:00 PM to 10:00 PM
6		Sh. Harikishan Rana, Principal GSSS, Chandwas	10:00 PM to 06:00 AM

अतः आपको निर्देश दिए जाते है कि आप सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों से दिनांक 03.10.2024 को I- Card बनवा कर उक्त समय अनुसार Strong Room के सुरक्षा व्यवस्था की Monitoring के साथ–साथ Proper Log Book भी Maintain करना सुनिश्चित करेंगें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/2466 दिनांकः 28.09.2024

इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि आप प्रतिदिन प्रातः व सांय व्यक्तिगत रूप से Strong Room की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/2467 दिनांकः 28.09.2024

इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षका चरखी दादरी को भेजते हुए अनुरोध है कि आप उक्त नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के साथ Round the Clock पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/2468 दिनांकः 28.09.2024

इसकी एक प्रति 55–बाढड़ा व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों (सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से) को भेजते हुए अनुरोध है कि आप अपने–अपने से सम्बन्धित Strong Room की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अपने–अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/ 2469 दिनांकः 28.09.2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रतिः– निजि सहायक समीप उपायुक्त महोदय।

Annexure-XX

Attendance Sheet of All Constesting Candidates/Election Agents/Authorized Repersentative of 56-Dadri AC During opening & closing of Strong Room having Form 17A & Other Documents In Presence of General Observer & RO on Dated 06.10.2024 at 10:45 AM at JVMGRR PG College, Charkhi Dadri

Sr No	Name of Constesting Candidates / Election Agents / Repersentative	Party Affiliation /Independent	Phone No.	Signature
1	Sanjeev Godara	AAP	8059480100 7272002600	[signature]
2	Shashi kant	INC (Congress Party)	9992529217	[signature]
3	VIVEK SHEORAN	B.J.P Repersentative	9812020545	[signature]
4	सुनील कुमार		9050511520	सुनील कुमार
5	Krishna	R.J.P	9518894932	krishna
6	HEMANT	INDEPENDENT	9050040014	Hemant
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Attendance Sheet of All Constesting Candidates/Election Agents/Authorized Repersentative of 56-Dadri AC Durin Scrutiny of 17A & Other Documents in Presence of General Observer & RO on Dated 06.10.2024 at 11:00 AM at Meeting Hall No. 1, Mini Sect. Charkhi Dadri

Sr No	Name of Constesting Candidates / Election Agents / Repersentative	Party Affiliation /Independent	Phone No.	Signature
1	Sanjeev Gudana	AAP	8059480100 7272002600	[signature]
2	SHASHIKANT	INC (Congress Party)	9992529217	[signature]
3	VIVEK SHEOPAN	B.J.P	9812020545	[signature]
4	सुनील कुमार		9050511520	सुनील कुमार
5	Krishna	R.J.L.P	9518894932	Krishna
6	HEMANT	INDEPENDENT	9050040014	Hemant
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Annexure - XXI

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पर्व
PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2790 दिनांकः 06.10.2024

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा चण्डीगढ।

विषयः– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024– **Proceeding of the Scrutiny of Form 17 A & Other Documents Reg.**

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर आज दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे सामान्य पर्यवेक्षक महोदय, रिटर्निंग अधिकारियों तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं की उपस्थिति में Form 17 A & Other Documents की Scrutiny प्रक्रिया उपरान्त रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त Proceeding of the Scrutiny of Form 17 A & Other Documents की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Proceeding of the Scrutiny of 17 A on 06-10-2024

The Scrutiny of Form 17 A & Other documents of 56-Dadri AC was conducted today 06-10-2024 at 11:00 AM in the presence of Candidates / Agents.

The Following PS were taken for scrutiny

1	In all polling station where any complaint of poll rigging malpractices etc. Was received by Observer, DEO or RO during the poll process.	Nil
2	In all polling station when any significant event (EVM related or otherwise) was reported to the Observer, DEO or RO during poll process.	Nil
3	In Polling stations where poll take place in the absence of any polling agent or in the presence of the agent of only one candidate	Nil
4	In Polling stations where the number of electors who cast their votes using documents other than EPIC (i.e., alternative documents specified by the Commission) exceeded 25% of the total votes cast in that polling station.	PS No- 79, 104, 145 & 188 Total PS- 4
5	In Polling stations where more than 10% of such electors who had been identified as ASD turned up and voted.	Nil
6	In Polling stations where polling percentage is plus 15% or minus 15% than the average polling percentage of that AC say for e.g. in a particular AC 60% voter have been cast in all polling stations with polling percentage 75% or more and 45% or less shall be taken up for scrutiny.	Less than 15% Polling Station No.- 167 – 48.24% & 171- 48.12 % More than 15% Polling Station No.- 64- 88.25% , 234- 87.60% , 86- 85.41 % , 17- 84.73 % , 63-83.95%, 132-83.08% & 148-82.82%
7	In Polling stations where there are at least 5 (Five) tendered voters/challenged reported	Nil
8	In Polling Station, where in 10% or more remarks column of Register of Voters (Form-17A) are blank and does not indicate use of the EPIC/alternate document.	Nil
9	In Polling Stations, where Micro Observer has submitted an adverse report.	Nil

In addition to above two Polling Stations No. 58, 173 & 183 are also scrutinised due to EVMs/VVPATs replaced during actual poll.

There was no complaint/demand from the candidates/agents for scrutiny of any polling station, and poll was concluded peacefully at all polling stations. After the scrutiny of 17A, 17C, Presiding Officer Dairy, Micro Observer Report and Sector Magistrate report, all the documents are sealed and kept in strong room in presence of candidates / election agents.

No Repoll is recommended.

(Signature) 6/10/24
RO
56-Dadri

(Signature) 6/10/24
General Observer.
56-Dadri

Office Copy.

Annexure -XXII

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

चुनाव का पर्व
PRADESH KA GARV
HARYANA
VIDHAN SABHA ELECTION 2024

To be substituted bearing same No. and date

क्रमांकः निर्वाचन–2024/2211 दिनांकः 17.09.2024

सेवा में

1. जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,
2. 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यर्थी

विषयः– **1st Supplementary Ranomization and 2nd Randomization of EVMs for General Election to Haryana Vidhan Sabha, 2024- regarding.**

उपरोक्त विषय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ के पत्र क्रमांक 256/Randomization/Gen Elec. 2024/3AE-9936 दिनांक 17.09.2024 के सन्दर्भ में।

उक्त सन्दर्भित पत्र के तहत हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर ऐसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक होने के कारण मतदान के लिए दो या दो अधिक BU प्रयोग में लाई जायेगीं। ऐसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1st Supplementary Ranomization दिनांक 20.09.2024 को किया जाना है। इसलिए 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए EVMs/VVPATs का 1st Supplementary Ranomization दिनांक 20.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे मीटिंग हॉल नं0 –1, लघु सचिवालय, चरखी दादरी में किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता/आप द्वारा अधिकृत किया गया प्रतिनिधि उक्त 1st Supplementary Ranomization के दौरान दिनांक 20.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे मीटिंग हाल नं0 1 लघु सचिवालय चरखी दादरी में पहुँचने का कष्ट करें तथा EVMs के स्थानान्तरण के दौरान 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के Strong Room क्रमशः JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में भी उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन–2024/2212 दिनांक 17.09.2024

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ।

DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

चुनाव का पर्व PRADESH KA GARV HARYANA VIDHAN SABHA ELECTION 2024

2. रिटर्निंग अधिकारी, 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को भेजते हुए अनुरोध है कि आप 1st Supplementary Ranomization उपरान्त EVMs को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व 56–दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति में रखवाने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रतिः निजि सहायक, उपायुक्त महोदय।

NAME	PARTY NAME	SIGNATURE	MOBILE NUMBE
	INC	[signature]	
NAME - Anand SHEOORAN	B.S.P	[signature]	987364190
NAME A SURAJ	JJP	[signature]	9812481700
NAME GANESH	Independent	[signature]	9017434712
Anand Swarup Verma	AAP		972836453
Satyawart Sangwan	BJP		946750994
[signature]	Indlite		9354822221

Attendance Register for National and State Recognised Political Parties During 1st Supplementary Randomization of EVMs/VVPATs at Meeting Hall No.-1 Mini Sec. Charkhi Dadri Under the Chairmanship of Deputy Commissioner-cum- District Election Officer.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date:20.09.2024

S. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks,if any.
1	B.J.P.	Distt. office Secretary	9813899200	[signature]	
2	B.S.P	Anand Shewry	8816056555	[signature]	
3	INC	SHASHIKANT	9992529217	[signature]	
4	AAP	SANJEEV GODARA	7272002600	[signature]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

After the 1st Supplementary Randomization of EVMs/VVPATs, List of EVMs/VVPATs of 56- Dadri Assembly Constituency Provided to All National/State Recognised Political Parties and obtain written acknowledgment.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date: 20.09.2024

S. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Mobile No.	Identity document No. with date	Signature of representative
1	INDEPENDENT	HEMANT	9050040014		Hemant
2	B.J.P.	office Secretary	9813899200		[illegible]
3	B.S.P.	Anand Sheoran	8816056533		[illegible]
4	INC	SHASHIKANT	9992529217		[illegible]
5	AAP	SANJEEV GODARA	7272002101		[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Attendance Register for All Contesting Candidates of 56-Dadri AC During 1st Supplementary Randomization of EVMs/VVPATs at Meeting Hall No.-1 Mini Secretariat Under the Chairmanship of Deputy Commissioner-cum- District Election Officer.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date:20.09.2024

S. No.	Name of Contesting Candidates /Election Agents	Name of political party/Independent	Signature
1	HEMANT	INDEPENDENT	Hemant
2	SANDEV SHARMA	INDEPENDENT	[signature]
3	Kishan Kumar	B.S.P.	[signature]
4	Adv. Sandeep Chhaparia	Independent	[signature]
5	SANJEEV GODARA	AAP	[signature]
6	SHASHI KANT	INC	[signature]
7	Narender baloda	Independent	narender
8			
9			
10			
11			
12			
13			

After the 1st Supplementary Randomization of EVMs/VVPATs, List of EVMs/VVPATs of 56- Dadri Assembly Constituency Provided to All Contesting Candidates of 56-Dadri AC and obtain written acknowledgment.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date: 20.09.2024

S. No.	Name of Contesting Candidates /Election Agents	Name of political party/Independent	Mobile No.	Signature
1	HEMANT	INDEPENDENT	9050040014	Hemant
2	SANDEVSHARMA	INDEPENDENT	8076162618	[illegible]
3	Kishan Sheoran	B.S.P.	8816056553	[illegible]
4	Adv. Sandeepchhoparia	Indipendent	9354822224	[illegible]
5	SANJEEV GODARA	AAP	7272002600	[illegible]
6	SHASHIKANT	INC	9992529217	[illegible]
7	Narenderbaloda	Indipendent	9671641959	Narender
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				